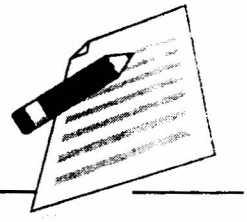

Notes

33

लैंगिक भेदभाव और लैंगिक समानता

पिछले अध्याय में आपने भारत के इतिहास के विभिन्न युगों में स्त्रियों की प्रस्थिति का लेखा-जोखा देखा और समझा। यद्यपि स्त्रियों की मुक्ति के रास्ते में जो बहुत सी कठिनाइयाँ थीं उन्हें संविधान ने हटा दिया है फिर भी कई सामाजिक संस्थाओं में लैंगिक के क्षेत्र में स्त्री व पुरुष में भेदभाव हैं। इन भेदभावों के कारण स्त्रियाँ पुरूषों के समान प्रस्थिति को नहीं प्राप्त कर सकतीं। इस पाठ में आप देखेंगे कि पुरुष व स्त्री में किस तरह और किन क्षेत्रों में भेदभाव है। वास्तविकता यह है कि पुरुष और स्त्री में अन्तर हैं लेकिन समाज ने स्त्रियों के प्रति कुछ सांस्कृतिक और सामाजिक पाबन्दियाँ लगा दी हैं। ये पाबन्दियाँ जैविकीय नहीं हैं। इन्हें समाज ने लगाया है और इस तरह पुरुष व स्त्री में भेदभाव हो जाता है। उदाहरण के लिये स्त्रियाँ श्मसान घाट नहीं जातीं। स्त्रियाँ अर्थी को कंधा नहीं दे सकतीं। इस पाठ में आप लैंगिक भेदभाव को स्पष्ट रूप से समझ सकेगें।

इन स्थितियों को देखिये:

(1) आप बस स्टेण्ड पर बस का इन्तजार कर रहे हैं और एक जवान लड़का स्वेटर बुन रहा है। इधर एक स्कूल की लड़की भी बस की प्रतीक्षा में खड़ी है और वह इस प्रतीक्षा की अवधि में पास के इमली के पेड़ पर चढ़ कर इमली तोड़ने में लगी हुई है।

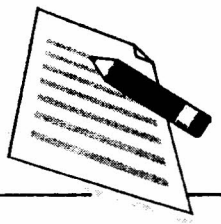

Notes

(2) आपके पड़ोस में दम्पत्ती रहते हैं। पति घर पर रहता है और अपने दो वर्ष की बच्ची की देखभाल करता है और घर के छोटे-मोटे काम भी करता है और उसकी पत्नी बैंक में मेनेजर के रूप में अपना कार्य सम्पादन करती है।

आपको उपरोक्त दोनों दृष्टान्त विचित्र लगते होंगे।

(1) इस आदमी को देखिये कि वह स्वेटर बुन रहा है मानो वह कोई औरत हो।

(2) लड़की होकर देखो वह पेड़ पर चढ़ रही है।

(3) क्या यह आदमी घर का पति है? पुरुष होकर उसे काम पर जाना चाहिये जबकि स्त्री को घर में बच्चों की देखभाल और घर के कामकाज को करना चाहिये और क्या उस स्त्री को शर्म नहीं आती कि वह अपने पति से घर की कामकाज करवाती है।

सवाल है: एक आदमी को स्वेटर बुनने की क्या आवश्यकता है और लड़की को पेड़ पर क्यों चढ़ना चाहिये? आदमी की गलती क्या बच्चों की देखभाल करने के कारण है? क्या औरत को अपना पूरा समय दफ्तर में काम करने में बिताना चाहिए? इस तरह के विचार सामान्य रीति-रिवाज के विपरीत हैं। सरकार ने ऐसा कोई कानून नहीं पास किया है कि आदमी घर का काम न करें। क्योंकि घर का काम स्त्रियों का है अत: स्त्रियों को दफ्तर में काम नहीं करना चाहिये। सच्चाई यह है कि हमने पुरुष व स्त्री के बारे में कुछ निश्चित विचार व छबि बना ली है। और इस तरह की सांस्कृतिक छबि को हमने जैवकीयता के साथ जोड़ दिया है। हमारी यह छबियाँ सही नहीं हैं। इस तरह हम लैंगिक अवधारणा को स्पष्ट कर देंगे। समाजशास्त्रियों ने लिंग के विषय में कुछ नई अवधारणाएँ दी हैं। समाज पुरुष और स्त्री के बारे में अलग-अलग अपेक्षाएँ रखता है। इसका सम्बन्ध पुरुष और स्त्री के जैवकीय लक्षणों से नहीं है। इसका तात्पर्य पुरुष और स्त्री के प्रति सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवहार से है। जैवकीय संरचना में पुरुष एवं स्त्री एक सीमा तक समान हैं। दोनों ही की जैवकीय व्यवस्थाएँ हैं लेकिन सामाजिक तथा सांस्कृतिक भेदभाव के कारण उनमें गैर बराबरी आ जाती है। यह गैर बराबरी ही स्त्रियों को निम्न दर्जा दे देती है। यह निम्न दर्जा ही लैंगिक समस्या को पैदा करता है।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप जान जायेंगे कि:

- लिंग की अवधारणा का अर्थ क्या है?

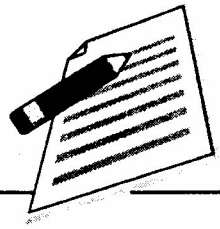

- लिंग और यौन की अवधारणाओं में क्या अन्तर है?
- लिंग से जनित भेदभाव का क्या अर्थ है?
- विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में लैंगिक भेदभाव किस तरह काम करता है?
- एक नारी मुक्ति आंदोलन की दृष्टि से लैंगिक भेदभाव का क्या अर्थ है?
- लैंगिक समानता किसे कहते हैं और किन विधियों द्वारा वह समाज में लाई जा सकती है?

33.1 लिंग शब्द का अर्थ

अगर आप शब्दकोष के पन्नों को पलटेंगे और देखेंगे कि लिंग का अर्थ क्या है तब इसकी परिभाषा कुछ इस तरह मिलेगी। "पुरुष या स्त्री होना।" हम व्याकरण के अर्थ को लेंगे तब इसे पुरुष या स्त्री के रूप में देख सकेंगे। यह बहुत सामान्य अर्थ है। व्यावहारिक जीवन में पुरुष व स्त्री के यौन को समझना सामान्य बात है। कुछ शारीरिक लक्षणों के आधार पर समाज को पुरुष व स्त्री में बांटा जा सकता है। लिंग का अर्थ कुछ सामाजिक-सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक आधारों पर किया जा सकता है। इन सांस्कृतिक लक्षणों पर ही लिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। सांस्कृतिक लक्षणों के आधार पर समाज पुरुष व स्त्री की पहचान करता है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िये:

(1) एक व्यक्ति के जैवकीय लक्षणों के कारण लिंग की पहचान नहीं होती। लेकिन यह देखा-परखा जाना चाहिए कि आदमी और स्त्री की सामाजिक भूमिका क्या है। दूसरे शब्दों में, लिंग के अर्थ का आधार सामाजिक और सांस्कृतिक होता है।

(2) लिंग का निर्धारण जैवकीय लक्षणों पर होता है।

दृष्टान्त I : बच्चे को जन्म देने का काम आदमी नहीं करता बल्कि स्त्री करती है। यह इसलिये कि जन्म देने के लिये स्त्री के पास में योनि है और एक गर्भाशय है। जन्म से पहले इसी गर्भाशय में बच्चा विकसित होता है। क्योंकि आदमी के पास न तो योनि है और न गर्भाशय अत: वह बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। क्योंकि औरत जन्म दे सकती है और आदमी ऐसा नहीं कर सकता अत: इसलिए यह जैवकीय लक्षणों के कारण ही है। इस अन्तर को यौन भेद के कारण आसानी से समझा जा सकता है।

दृष्टान्त II : एक लड़का स्कूल के मैदान में अपने मित्र के साथ खेलते हुए नीचे गिर जाता है। उसे चोट लगती है और वह चिल्लाना शुरू कर देता है। उसको

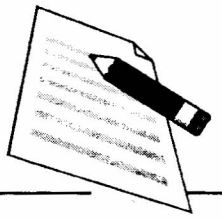

Notes

प्राथमिक चिकित्सा देने के बजाय उसके दोस्त यह कहते हुए उसे चिढ़ाते हैं: अरे उसकी तरफ देखो, वह लड़की की तरह रो रहा है। जाओ उसके लिये एक फ्रॉक और चूड़ियाँ ले आओ जिन्हें पहनकर वह लड़की हो जाये। ''क्या एक लड़के को चिल्लाना नहीं चाहिये? इस लड़के ने जिस तरह का व्यवहार किया वह कोई भी बच्चा जिसे आघात पहुँचता है अवश्य करेगा। वह इसकी अभिव्यक्ति चिल्लाकर ही तो करेगा। इसमें लड़के और लड़की का कोई सवाल नहीं है। लेकिन होता यह है कि लड़कियों को कमजोर समझा जाता है और लड़के साहसी और ताकतवर समझे जाते हैं। इस तरह के लक्षण समाज ने पुरुष व स्त्री पर थोपे हैं। इस तरह के व्यवहार जैवकीय नहीं है। इनको समाज ने बना दिया है। और इसी को हम लिंगभेद कहते हैं।

गतिविधि: ऊपर के दो दृष्टान्तों में आपने देखा कि हम दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में लिंग के अन्तर को देखते हैं। कोई 250 शब्दों के अन्दर लिंग के इस अन्तर को बताइये। गतिविधि द्वारा सिखाने के लिए अध्यापक को इस अभ्यास का नियत कार्य कराना चाहिये।

33.2 लैंगिक भेदभाव का अर्थ

यह सही है कि आदमी और औरत जैवकीय दृष्टि से भिन्न हैं। इस बात को ध्यान में रखकर क्या दोनों ही लिंगों के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिये। 6-11 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चें प्राथमिक स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन इन स्कूलों में लड़कियों की अपेक्षा लड़के अधिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कियों के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा क्यों है कि स्कूलों में लड़कियों को कम रखा जाता है। उन्हें घर का काम करने हेतु बाध्य किया जाता है जबकि दूसरी ओर लड़की के भाई को स्कूल जाने के लिये बाध्य किया जाता है। लड़के और लड़की के साथ में स्कूल में जो भेदभाव किया जाता है वह लैंगिक समस्या है। लड़की या औरत को स्कूल का अवसर इसलिये नहीं दिया जाता कि वह स्त्रीलिंग है। वास्तविकता यह है कि स्त्रियों की प्रस्थिति की जब हम व्याख्या करते हैं तब हमारे दिमाग में लैंगिक भेदभाव आता है।

33.3 हमारे समाज में लैंगिक भेदभाव किस तरह काम करता है?

सीमा और समीर एक इंजीनियरिंग फर्म में नौकरी पाने के लिए अभ्यर्थी हैं। दोनों ने अपनी यह परीक्षा विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण की है। वास्तविकता तो यह है कि

सीमा अपने विश्वविद्यालय में प्रथम दर्जे में पास हुई है। लेकिन हुआ यह कि समीर को नौकरी मिल गयी और सीमा रह गयी। इस घटना ने सीमा को वास्तव में परेशान कर दिया और वह फर्म के मेनेजर के पास गयी। उसने प्रश्न पूछा: ''क्या मैंने परीक्षा में अच्छा नहीं किया?'' मेनेजर का जवाब कुछ इस तरह था: ''हाँ, तुमने अच्छा किया। वास्तव में तुम्हारा साक्षात्कार समीर से बढ़िया था। हमने उसको पसंद किया क्योंकि वह पुरूष है। लेकिन जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम हमें छोड़ दोगी और यदि ऐसा नहीं करतीं तो बच्चे होने पर तुम मातृत्व का लाभ मांगती। हम तुम्हें न तो नौकरी से जाने देना चाहते और न तुम्हें कोई लम्बी छुट्टी पर जाने देते। ''मतलब हुआ सीमा को इसलिये नौकरी नहीं मिली कि वह स्त्री है। उसे नौकरी में उसकी योग्यता के कारण नहीं लेकिन स्त्री होने के कारण स्थान नहीं मिला। वह बहुत ही काबिल प्रत्याशी थी फिर भी उसे नौकरी नहीं मिली। यह लैंगिक भेदभाव का अच्छा दृष्टान्त है।

भारतीय संविधान लैंगिक भेदभाव के बारे में पाबन्दी रखता है। लैंगिक भेदभाव के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 (1) में घोषित किया गया है: ''राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा जिसका कारण धर्म, प्रजाति, जाति या लिंग, जन्म का स्थान या इनमें से कोई भी एक कारण हो।

पाठगत प्रश्न 33.1

एक वाक्य में उत्तर दीजिये:

(1) लिंग भेद किसे कहते है?

---

(2) लिंग किसे कहते हैं?

---

(3) लैंगिक भेदभाव किसे कहते हैं?

---

(4) भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लैंगिक भेदभाव पर पाबन्दी लगाता है?

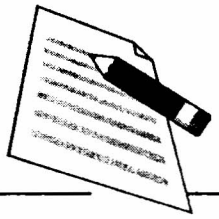

Notes

33.4 विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में लैंगिक भेदभाव

कानून की दृष्टि में पुरुष और स्त्री समान हैं लेकिन व्यवहार में सभी सामाजिक संस्थाओं में लैंगिक भेदभाव दिखायी देता है। इसका प्रारम्भ परिवार से होता है और उसका फैलाव सभी सामाजिक संस्थाओं में प्राप्त होता है।

33.4.1 परिवार

अगर आप एक परिवार को देखेगें तो इसमें पुरुषों की तुलना में स्त्रियों के साथ समान व्यवहार नहीं होता। अधिकांश घरों में पिता को परिवार का मुखिया मानते हैं और इस कारण वह परिवार का प्राधिकारी भी होता है। स्त्रियाँ प्राय: रसोई का कार्य करती हैं और बच्चों का पालन पोषण व अन्य गृहस्थी का काम करती हैं। स्त्रियाँ घर से बाहर कोई रोजगार करती हों या नहीं पर घर का काम उसका अपना विशेष क्षेत्र है। क्योंकि घर के काम का कोई पैसा नहीं दिया जाता अत: इसे महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। आजकल स्त्रियाँ घर से बाहर के कामों में लगी रहती हैं। फिर भी पुरुषों को रोटी कमाने वाला कहा जाता है। क्योंकि घर में काम करने के कारण स्त्रियों को गैर उत्पादक श्रम करने वाली महिला कहा जाता है। घर के क्षेत्र में काम के इस बंटवारे को केवल लैंगिक श्रम विभाजन कहते हैं। एक स्त्री का कार्य घर के अन्दर होता है और इसलिये इसे निजी कहकर छोड़ दिया जाता है जबकि आदमी का काम घर से बाहर होता है, उसे सार्वजनिक कार्य कहते हैं। इस तरह लैंगिक श्रम-विभाजन गैर बराबर श्रम विभाजन होता है और यह सब घरों में होता है। पुरुष सामान्यतया परिवार का मुखिया होता है और सम्पत्ति और सारे प्राधिकार पुरुषों के पास ही होते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वह स्त्रियों पर अपना प्रभुत्व जमाता है और इसका असली कारण पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। यद्यपि स्त्रियाँ मुख्य रूप से परिवार की देखभाल करती हैं फिर भी उन्हें दूसरा स्थान प्राप्त होता है। इन पितृसत्तात्मक परिवारों में उत्तराधिकार पुरुषों के वंश से होता है। स्त्रियों कों सम्पत्ति में समान भाग नहीं मिलता।

भारत में लगभग 30 प्रतिशत घर स्त्रियों की कमाई से चलते हैं। ऐसे परिवारों को महिलाओं द्वारा चलाये गये परिवार कहते हैं। यह सही है कि ये परिवार स्त्रियों द्वारा चलाये जाते हैं और परिवार के अस्तित्व को बनाये रखने का कार्य स्त्रियाँ ही करती है, फिर भी यह देखा जाता है कि स्त्रियों के साथ मारपीट और मानसिक तनाव बराबर बना रहता है। इसे हम परिवार में असमान लैंगिक सम्बन्ध समझते हैं।

कई तरह से लैंगिक भेदभाव का कारण परिवार में पाया जाने वाला समाजीकरण है। लड़कियाँ और लड़के इस तरह से विकसित किये जाते हैं कि वे विभिन्न गुणों को

अपना लेते हैं। उदाहरण के लिये विवाह और मातृत्व लड़कियों के अन्तिम लक्ष्य होते हैं जबकि लड़कों का काम अपना कैरियर बनाना होता है। सामान्यत: यह समझा जा सकता है कि परिवार की आय का बहुत बड़ा हिस्सा उनकी शिक्षा में लगाया जाता है। इसमें तर्क यह है कि लड़के की शिक्षा पर जो खर्च किया जाता है, वह परिवार को मिल जाता है जबकि लड़की पर खर्च किया गया पैसा उसकी ससुराल में चला जाता है। लड़कियों के प्रति जो यह दृष्टिकोण है उसी के कारण भ्रूण हत्या होती है और लड़कियों को मार दिया जाता है। इसका प्रमुख कारण दहेज की मांग में वृद्धि होती है।

इस भाँति परिवार भेदभाव का बहुत बड़ा स्त्रोत है। यह परिवार में ही होता है कि लड़कों और लड़कियों को विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं के लिये समाजीकृत किया जाता है। यहाँ परिवार में यह भेदभाव योग्यता पर नहीं अपितु केवल लिंग पर किया जाता है। इस प्रकार काम करने का तरीका लड़के व लड़की के लिये भिन्न होता है। लिंग समाजीकरण का आधार ही लिंग हो जाता है। क्योंकि एक व्यक्ति का सम्पर्क अपने परिवार के साथ होता है तब लैंगिक असमानता परिवार में ही पैदा होती है और वह इस तरह से समाज की अन्य संस्थाओं में भी पायी जाती है।

33.4.2 धर्म

दुनियाँ भर में मनुष्य के व्यवहार पर धर्म का बड़ा प्रभाव होता है। धर्म का इतिहास बहुत पुराना है और धार्मिक ग्रन्थों का निर्माण पुरुषों ने ही किया है। क्योंकि स्त्रियों को पढ़ने की आज्ञा नहीं थी इसलिये इन धार्मिक ग्रन्थों में क्या लिखा है इसका ज्ञान स्त्रियों को नहीं होता था। इनमें स्त्रियों के साथ भेदभाव की बहुत बातें लिखी हुई हैं। बहुत से मूल्य और व्यवहार जो स्त्रियों पर दबाव डालते हैं उनके संबंध में यह कहा जाता है कि वे बातें धार्मिक ग्रन्थों में लिखी गयी हैं। इसी कारण कभी-कभी एक ही धार्मिक ग्रन्थ में परस्पर विरोधी बातें कही गयी हैं। यह कहा गया है कि स्त्रियों को घर में सम्मान के साथ रखना चाहिये। वहीं इसकी विरोधी बात यह है कि स्त्रियों का एक विधवा की तरह अनादर करना चाहिये। उनका बाल विवाह होना चाहिये और उन्हें सती की आग में झोंक देना चाहिये। मनुस्मृति में वे जो विसंगतियाँ हैं उनका उल्लेख हमने पिछले पृष्ठों में किया है। मनुस्मृति स्त्रियों को पुरुषों के बराबर स्थान नहीं देता। एक विधवा या एक स्त्री किसी कर्मकाण्ड को नहीं कर सकती। एक स्त्री अपनी प्रस्थिति को अपने पति से प्राप्त करती है और पति के अभाव में जो प्रस्थिति उसे मिली थी वह चली जाती है।

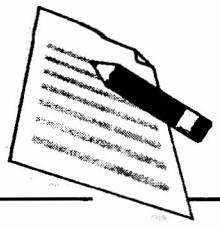

Notes

धर्म को मानने वाले बहुत लोग होते हैं और इसका प्रभाव भी पुरुष और स्त्रियों पर बहुत अधिक पड़ता है।

33.4.3 शिक्षा

सभी समाजों में शिक्षा की एक अनूठी भूमिका है। यह शिक्षा के माध्यम से ही संभव है कि संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचती है। नागरिकों को शिक्षा स्कूल तथा स्कूल के बाहर कई संस्थाओं जिसमें परिवार और मठ-मंदिर भी सम्मिलित हैं, के द्वारा दी जाती है। बच्चे के प्रारम्भिक वर्षों में शिक्षा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। स्कूल में जो छबियाँ और छाप बच्चों पर डाली जाती हैं वही लैंगिक धारणा को एक सांचे में ढ़ाल देती है। 1986 में बनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने यह बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि लैंगिक भेदभाव को शिक्षा व्यवस्था से एकदम हटा देना चाहिये। यह सब होते हुए भी आज भी स्त्री और लड़कियों की स्थिति और छवि नकारात्मक बनी हुई है। इस संदर्भ में निम्न दृष्टान्तों को देखिये:

- पिता परिवार का मुखिया है।
- पिता परिवार में रोटी कमाने वाला है।
- माँ रसोई घर में खाना बनाती है जबकि पिता अखबार पढ़ता है।
- कुछ स्त्रियाँ नर्स या अध्यापिका की तरह काम करती है।
- कमला अपनी माँ की रसोई में मदद करती है जबकि राजा अपने पिता के साथ बाजार जाता है, और
- लीना घर के पिछवाड़े कपड़े धोती है जबकि उसका भाई आमीर कमरे में बैठकर पढ़ता है।

उपरोक्त दृष्टान्तों में हमने देखा है कि जो केन्द्रीय अवधारणा इनमें निहित है वह यह है कि स्त्री का स्थान घर में है और आदमी का घर से बाहर। दूसरे शब्दों में, घर का पूरा उत्तरादायित्व महिलाओं पर है और घर से बाहर का काम पुरुषों का है। लिंग के प्रति स्कूल की पुस्तकों में जो पूर्वाग्रह निहित है, इसका बच्चों के मस्तिष्क पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यह तथ्य भी सही है कि यद्यपि स्त्रियाँ रोजगार करती हैं फिर भी घर के चलाने में उनका जो योगदान है, उसे नजर अन्दाज कर दिया जाता है। आज भी बहुत से स्कूलों में लड़कियों और लड़कों को एक ही खेल खेलने नहीं देते या आपस में मिलने नहीं देते।

शिक्षा के उच्च स्तर पर कुछ पाठ्यक्रम ऐसे हैं जो लड़कियों के लिये लड़कों की

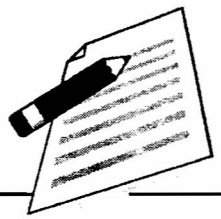

तुलना में अधिक उपयुक्त हैं। कोई भी कॉलेज स्पष्ट रुप से यह नहीं कहता कि उसे अमुक पाठ्यक्रम को लेना चाहिये। लेकिन व्यवहार में देखें तो पता चलेगा कि कुछ पाठ्यक्रम वास्तव में स्त्रियों के लिये अधिक उपयुक्त हैं। ऐसा होते हुए भी स्त्रियाँ आज की स्थिति में वर्जित पाठ्यक्रम में भी प्रवेश लेती हैं। अब स्त्रियाँ बड़ी संख्या में कला, जैवकीय विज्ञान, कम्प्यूटर, इलेक्ट्रोनिक्स में पढ़ती है। यह कहा जाता है कि ज्ञान के ये क्षेत्र 'हल्के' पाठ्यक्रम हैं। इसलिये स्त्रियों के लिये अधिक उपयुक्त है। अत: इस तरह आज शिक्षा भी लैंगिक भेदभाव की शिकार है।

शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली तन्त्र समझना चाहिये। यह शिक्षा के माध्यम से ही है कि नये विचार पैदा और प्रसारित होते हैं लेकिन वास्तव में यह हमेशा नहीं होता।

पाठगत प्रश्न 33.2

रिक्त स्थानों को भरिये-

(1) काम और भूमिकाओं का जो विभाजन एक व्यक्ति के लिंग के आधार पर होता है वह ---------- कहलाता है।

(2) ऐसे परिवार जो केवल स्त्रियों की कमाई पर निर्भर हैं-----कहलाते हैं।

(3) राष्ट्रीय शिक्षा नीति------- में कहा गया है कि शिक्षा में जो लैंगिक भेदभाव है, उसे पूर्णतया हटा देना चाहिये।

(4) पाठ्य पुस्तकों के पाठ जो यह बताते हैं कि आदमी का स्थान घर से बाहर व स्त्री का घर के अन्दर है, यह दृष्टान्त ---------का है।

33.4.4 आर्थिक संस्थाएँ

इतिहास के प्रारम्भिक युगों में जब आदमी और औरत भोजन और आवास की खोज में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, तब समाज द्वारा संरचित लैंगिक श्रम विभाजन नहीं था। जिसे भी भोजन मिल जाये, चाहे पुरुष हो या स्त्री उसे प्राप्त करने में जुट जाता था। इस तरह के लैंगिक श्रम विभाजन के अभाव में आर्थिक गतिविधियाँ चलती थीं। यह होते हुए भी समाज में थोड़ा बहुत लैंगिक विभाजन था। आदमी शिकार करता था जबकि स्त्रियाँ कंदमूल, फल एकत्र करती थीं। फिर एक समय ऐसा आया जब आदमी स्थायी जीवन बिताने लगा, हल से खेती करने लगा, तब

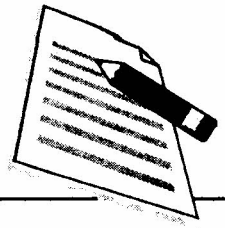

Notes

आदमी और औरत के श्रम विभाजन में अन्तर आ गया। अब भूमि पर हल चलाने का काम आदमी का हो गया और स्त्रियों ने घर के काम को अपने सिर पर ले लिया। बच्चों का पालन पोषण उनका काम हो गया। काल की इस अवधि में काम ही दो भागों में बंट गया। एक काम वह जो पुरुषों का था और दूसरा काम वह जो स्त्रियों का। अब स्त्री को घर बनाने वाली या गृहस्वामिनी कहा जाने लगा। अन्य शब्दों में, आदमी को रोटी कमाने वाला, उत्पादन करने वाला कहा जाता है। जब दुनियाँ औद्योगीकरण की गिरफ्त में आ गयी तब स्त्रियों की तुलना में पुरुषों को एक और लाभ मिल गया और यह लाभ यह था कि उन्हें शिक्षा और कुशलता प्राप्त करने के नये अवसर मिल गये। अधिकांश स्त्रियाँ घर में ही रहती थीं और उन्हें घर से बाहर की दुनियाँ में क्या हो रहा था उसका कोई अनुभव नहीं था। जब स्त्रियों ने घर से बाहर उद्योग में प्रवेश किया तब उसे ज्यादा से ज्यादा निम्न स्तर के ही कार्य मिले।

आज भारत में अर्थव्यवस्था दो श्रेणियों में बंटी हुई है- संगठित (औपचारिक) और असंगठित (अनौपचारिक) क्षेत्र। संगठित क्षेत्र वे हैं जहाँ नियमित वेतन मिलता है, श्रम के कानून होते हैं और श्रम से जुड़े हुए लाभ मिलते हैं। लेकिन असंगठित क्षेत्र वे हैं जहाँ न तो ये काम पक्के होते हैं और न इनमें नियमित वेतन मिलता है। अधिकांश स्त्रियाँ जो अपने घर से बाहर काम करती है वे असंगठित क्षेत्र हैं और इनमें कई प्रकार के शोषण होते हैं। यद्यपि यह नियम सभी मानते हैं कि समान काम के लिये समान वेतन मिलना चाहिये पर अधिकांश स्त्रियाँ आदमियों से कम वेतन पाती है। कृषि या निर्माण कार्य में जिनमें प्राय: स्त्रियाँ काम करती हैं पुरुषों की तुलना में उन्हें कम वेतन मिलता है।

स्त्रियाँ चाहे घर में काम करती हो या बाहर, घर के काम को हमेशा एक स्त्री का उत्तरदायित्व माना जाता है। यहाँ यह संभव नहीं है कि हम आंकड़ों के माध्यम से यह बता सकें कि ऐसे कितने आदमी हैं जो घर के काम को अपना उत्तरदायित्व मानते हों। लेकिन यह निश्चित रूप से सही है कि स्त्रियाँ घर के काम को अपना उत्तरदायित्व मानती हैं। वे स्त्रियाँ जो घर और बाहर के काम को करती हैं दोहरे बोझ से पीड़ित होती हैं। इस स्थिति का हम कैसे भी विश्लेषण करें पर निश्चित रूप से स्त्रियाँ पुरुषों से अधिक काम करती हैं और उसकी तुलना में उनके लाभ बहुत कम है।

33.4.5 राजनीतिक संस्थाएँ

प्रत्येक समाज में कुछ ऐसी व्यवस्थाएँ होती हैं जो कानून को बनाती हैं और उन्हें लागू करती हैं। सरल समाजों में कुछ ऐसी व्यवस्थाएँ होती हैं जो अनौपचारिक रूप से

सामाजिक नियंत्रण लाती हैं। उदाहरण के लिये रीतिरिवाज और मानदण्ड। बड़े-बूढ़ों की कोई सभा होती है जो यह देखती है कि समुदाय के ऊपर परम्पराएँ बराबर लागू होती रहें। जब समाज अधिक जटिल और औपचारिक हुआ तब शासन करने का काम राज्य ने ले लिया और ऐसी संस्थाएँ बन गयीं जैसे कि संसद और विधानसभाएँ और इन्होंने अनौपचारिक संस्थाओं का स्थान ले लिया। इन संस्थाओं में स्त्रियों की भूमिका नाममात्र की थी। प्रजातन्त्र तो आ गया लेकिन यहाँ इसमें स्त्रियों की केवल इस अर्थ में भागीदारी रही कि उन्होंने अपना वोट दिया या फिर चुनाव लड़ा। आज भी स्त्रियों के लिये राजनीति उपयुक्त नहीं समझी जाती। वे इसमें भाग नहीं लेतीं क्योंकि सत्ता का उपयोग कैसे होता है इसका उन्हें अभ्यास और अनुभव नहीं है।

यह आश्चर्यजनक है कि भारतीय समाज में कुछ स्त्रियाँ बहादुर थीं। शासन करने तथा राज्य चलाने के लिए आज भी स्त्रियों को अनुपयुक्त समझा जाता है। आदमियों के पास भी सत्ता थी लेकिन वे स्त्रियों को सत्ता में भगीदारी देना नहीं चाहते। केवल भारतीय समाज में ही ऐसी विशेष स्थिति नहीं है, अपितु सारी दुनियाँ में ऐसा ही होता है।

संविधान के 73 वें और 74 वें संशोधन में ग्रामीण और शहरी स्वायत शासन में-पंचायत, नगरपालिका और निगमों में-स्त्रियों को एक तिहाई का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। यह संशोधन महत्वपूर्ण इसलिये है कि इसके माध्यम से कोई 10 लाख स्त्रियों को राजनीतिक निर्णय लेने में भागीदार बना दिया गया है। यह सब ठीक है लेकिन महिला आरक्षण बिल जो एक तिहाई संसद के सदस्यों को आरक्षण देता है आज भी संसद और राज्य विधान सभाओं में पास नहीं हो पाया है। यद्यपि स्त्रियों ने राजनीति में अपनी योग्यता को सिद्ध किया है फिर भी यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह अब तक पास होने की प्रतीक्षा में है।

नोट- यहाँ पर एक ऐसा चित्र देना चाहिये जो स्त्रियों को पंचायत राज बैठकों में भाग लेते हुए बता सकें।

लैंगिक भेदभाव सभी सामाजिक संस्थाओं में मिलता है। शताब्दियों से समाज में स्त्रियों की सामाजिक संस्थाओं में जो उपयुक्त स्थिति होनी चाहिए वह नहीं मिली है। नारी आंदोलन के प्रणेता लोग भी इस बात को स्वीकार नहीं करते कि उनकी जैवकीय विशेषता, उनकी योग्यता को निर्धारित करती है। अब हम यह देखेंगे कि नारी विषयक लैंगिक भेदभाव को महिलावादी इस सम्पूर्ण समस्या को किस रूप में देखते हैं।

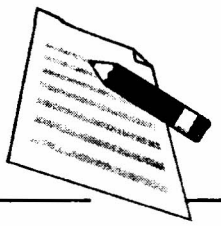

Notes

पाठगत प्रश्न 33.3

सही है या गलत, बताइये:

(1) भारत में बहुसंख्यक स्त्रियाँ अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में काम करती हैं। (सही/गलत)

(2) स्त्रियाँ जो घर से बाहर और घर के अन्दर काम करती हैं दोहरा बोझ उठाती हैं (सही/गलत)

(3) दुनियाँ भर में आदमियों की तुलना में स्त्रियाँ राजनीति में अधिक काम करती हैं। (सही/गलत)

(4) महिलावादी इस बात को नकारते हैं कि स्त्रियों का जैवकीय स्वरूप उनकी योग्यताओं को निश्चित करता है। (सही/गलत)

33.5 लैंगिक भेदभावः एक महिलावादी विश्लेषण

एक महिलावादी विचारधारा से लैंगिक भेदभाव की पड़ताल आवश्यक क्यों हैं? इस समाज में लैंगिक भेदभाव माननेवाले अधिकांश लोगों का कहना है कि आदमी और औरत की लैंगिक रुढिबद्ध धारणाएँ सही हैं। साबुन बेचने वाले विज्ञापन स्त्रियों को हमेशा कपड़े धोते हुए बताते हैं तो इसमें गलत क्या है? इसमें कोई नई बात नहीं है कि स्त्रियाँ कपड़े धोती हैं लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इस बात का विरोध करते हैं कि स्त्रियाँ कपड़े धोती हैं। इस कट्टरवाद का विरोध करने वाली स्त्रियाँ महिलावादी हैं। अब प्रश्न उठता है कि महिलावाद किसे कहते हैं?

महिलावाद किसे कहते हैं?

महिलावाद एक अवधारणा और व्यवहार है (महिलावादी केवल पुरुष और स्त्री के बीच में बराबरी की बात नहीं करते लेकिन वे महिलावाद की उपलब्धियों पर भी जोर देते हैं। मौटे रूप में परिभाषित करें तो यह एक तरह की चेतना है जो बताती है कि स्त्रियाँ दबाई जाती हैं और सभी संस्थाओं में उनका शोषण होता है। महिलावाद केवल यही नहीं मानकर चलता कि स्त्रियों का दमन होता है, वह इसमें भी विश्वास करता है कि इस दमन के बारे में चेतना उत्पन्न की जानी चाहिये और परिवर्तन लाने के लिये सक्रिय रूप से कुछ किया जाना चाहिये। जब स्त्रियों के अधिकारों और आत्म सम्मान को ठेस पहुँचायी जाती है तो महिलावादी प्रश्न खड़े करते हैं और विरोध करते हैं।

महिलावादी इस विचारधारा को अस्वीकार करते हैं कि जैवकीय अन्तर जो पुरुष और

स्त्री के बीच में हैं उन्हें स्त्रियों के साथ भिन्न व्यवहार करने के लिये आधार बनाया जाए। वे उस लैंगिक भेदभाव के मूल को समझने की बात कहते हैं, जो मानव समाज में निहित है। महिलावादी ऐसी अवधारणाओं को काम में लाते हैं जैसे कि पितृसत्तात्मकता, पुरुष प्रभुत्व, स्त्री अधीनस्थता और स्त्रियों का दमन जिनसे लैंगिक भेदभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पितृ सत्तात्मकता एक ऐसी अवधारणा है जो बताती है कि परिवार में पिता का प्रभुत्व परिवार के सदस्यों पर होता है। यह समझा जाता है कि स्त्रियों का वर्गीकरण प्रजननात्मक है और आदमी का उत्पादनात्मक। यद्यपि बच्चे पैदा करना और उनकी देखभाल करना समाज को जीवित रखने के लिये बहुत आवश्यक है लेकिन इसे महत्व नहीं दिया जाता। देखा जाय तो गृहस्थी का कार्य जिसे स्त्रियाँ करती हैं बहुत महत्वपूर्ण है और मजे की बात यह है कि इन कार्यों को समाज आर्थिक गतिविधियाँ नहीं कहता। महिलावादियों का नारा है कि सभी स्त्रियाँ कामगर हैं और उन्हें किसी अन्य काम की ही तरह महत्वपूर्ण समझना चाहिये।

श्रम का लैंगिक विभाजन सभी समाजों में पाया जाता है। अधिकांश परम्परागत समाजों में स्त्रियाँ घर से बाहर काम करती हैं इन कामों में शिकार करना और खेती करना प्रमुख हैं। लेकिन कहीं भी हम यह नहीं बताते कि स्त्रियाँ घर के बाहर भी काम करती हैं। हम यह बताना चाहते हैं कि स्त्रियाँ नर्स का कार्य करती हैं। हम यह बताने में रुचि रखते हैं कि स्त्रियाँ गैर-परम्परागत कार्य करती हैं जैसे कि व्यापार का प्रबन्धन, बस या इंजिन चलाना और वे ऐसे भी कार्य करने वाली है जहाँ शारीरिक शक्ति का प्रयोग होता है। कठिन काम को करते हुए देखकर आप यह सोचते हैं कि स्त्रियाँ शारीरिक रूप से कमजोर हैं। इस भाँति महिलावादी इस बात को स्वीकार नहीं करते कि स्त्रियाँ कमजोर हैं। वे यह भी नहीं मानते कि स्त्रियों की जैविकियी ही उनका भाग्य है। (क्योंकि एक व्यक्ति स्त्री की तरह पैदा हुआ है उसे विशिष्ट भूमिका ही निभानी चाहिये।)

महिलावादी स्त्रियों के लैंगिक पूर्वाग्रहों और व्यवहारों को सभी सामाजिक संस्थाओं की गहराई में डूबा हुआ मानते हैं। लैंगिक भेदभाव के फलस्वरूप जो उत्तरदायित्व बांटे गए हैं उनका लक्ष्य सुविधा को ध्यान में रखकर काम करना था, अब यह दमन का साधन बन गया है। देखा जाय तो स्त्रियाँ दो तरह की भूमिकाओं को निभाती हैं।

एक तरह की भूमिका तो घर से बाहर श्रमिक की है और दूसरी भूमिका घर में काम करने की है। इस प्रकार की स्त्रियाँ लम्बे समय तक काम करती है और उनके प्रति सामाजिक अभिवृत्तियाँ गड़बड़ा जाती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि स्त्रियों को ''पत्नियाँ'' और ''माताएँ'' कहा जाता है और न कि कामगर की तरह कर्त्ता या उत्पादनकर्ता ।'

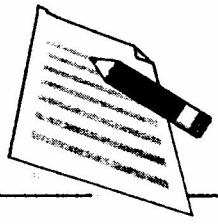

Notes

क्योंकि महिलावादी विचारक पुरुषों के प्रभुत्व का विरोध करते हैं तथा स्त्रियों के लक्ष्यों को भ्रम की दृष्टि से देखते हैं अत: ऐसे महिलावादी पुरूष से घृणा करने वाले समझे जाते हैं। इन्हें घर तोड़ने वाले या परिवार की शांति को समाप्त करने वाला समझा जाता है। महिलावादियों का यह संघर्ष पुरुषों द्वारा बनायी गयी व्यवस्था को तोड़ने वाला माना जाता है। स्त्रियों के साथ में बराबर अन्याय किया जाता रहा है और इसका सभी विरोध भी करते रहे हैं। महिलावाद का यह उद्देश्य नहीं है कि स्त्रियों को पुरुषों के विपरीत खड़ा करें। उसे यह करना चाहिये कि एक ऐसे समाज की स्थापना हो जिसका आधार विचारों में, शब्दों में और क्रिया में लैंगिक समानता हो।

33.6 लैंगिक समानता किसे कहते हैं?

अब तक आप यह समझ गये होंगे कि लिंग की अवधारणा में आदमी और औरत दोनों ही सम्मिलित है, केवल औरत ही नहीं। लैंगिक समानता का मतलब एक ऐसी स्थिति से है जिसमें सभी संस्थाओं में आदमी और औरत के साथ समान व्यवहार किया जाये। लैंगिक समानता वाले समाज में पुरुष और स्त्री दोनों को यह स्वतन्त्रता है कि वे अपनी पसंदगी और प्रतिष्ठा के अनुसार अपना काम करें। ऐसा नहीं होता कि स्त्रियों के साथ भेदभाव हो और न ही ऐसा हो कि पुरुषों को वरीयता दी जाये। महत्वपूर्ण बात यह है कि लैंगिक समानता वाली सामाजिक व्यवस्था में आदमी और औरत दोनों को सामाजिक दमन से मुक्ति मिल जाये और इस तरह की व्यवस्था हो जो इन दोनों को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी सन्तुष्अ करे।

पाठगत प्रश्न 33.4

रिक्त स्थान को भरिये:

1. एक---------लैंगिक भेदभाव का विरोध करता है और उस पर प्रश्न उठाता है।
2. घर का काम सामान्यतया------ समझा जाता है।
3. उस परिवार को जहाँ पिता के पास शक्ति व प्राधिकार होता है, ------कहा जाता है।
4. वह समाज जो पुरुष और स्त्री को समान समझता है उसे -------समझा जाता है।

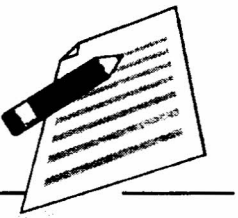

33.7 लैंगिक समानता की प्राप्ति कैसे हो सकती है?

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि लैंगिक समानता लाने का मतलब एक ऐसे समाज को बनाना है जहाँ पुरुष और स्त्री के बीच में जो भी असमानता के स्वरूप हैं उन्हें हटा दिया जाये। लैंगिक भेदभाव से मुक्त समाज में आदमी और औरत को इस बात की स्वतन्त्रता होती है कि वे जो भी और जिस तरह का कार्य करेंगे वह उनकी स्वयं की पसंद का होगा। क्योंकि वे पुरुष या स्त्री हैं इस कारण उन पर यह काम थोपा नहीं जा सकता। लैंगिक समानता का मतलब है कि न तो स्त्रियाँ निम्न हैं और न ही पुरुष उच्च। लोगों को यह नहीं सोचना चाहिये कि मातृत्व औरत की कमजोरी नहीं शक्ति है और न इसके विपरीत पुरुषों को यह कि वे श्रेष्ठ हैं। बच्चों के पालन-पोषण के लिये माता और पिता को अपने स्वयं का उत्तरदायित्व मानना चाहिये। इसी कारण महिलावादी माता-पिता के दोहरे पद को काम में लेते हैं और केवल माता या पिता को ही नहीं। महिलावादी बच्चे की शिक्षा-दीक्षा में दोनों का समान उत्तरदायित्व मानते हैं।

नोट: एक तस्वीर बनाइये जिसमें माता पिता दोनों बच्चों को नहलाने या नाश्ते बनाने में एक दूसरे की मदद करते हैं।

एक स्त्री की पहचान समान लैंगिक समाज में खो नहीं जाती। स्त्री की वैवाहिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसके नाम के आगे केवल 'श्रीमति' और 'सुश्री' शब्द लिखा जाता है। इस तरह का सम्बोधन स्त्रियों के लिये होता है लेकिन जब आदमी विवाहित होता है तब उसकी पहचान नहीं बदलती है। अत: एक स्त्री का भी यह अधिकार है कि वह स्त्री की तरह अपनी पहचान को बनाए रखे।

एक समान लैंगिक सामाजिक व्यवस्था में पुरुष व स्त्री दोनों का सम्मान जो कुछ वे कर सकते हैं उस आधार पर होता है और जो वे नहीं कर सकते उसके लिये अनादर नहीं होता। अगर एक आदमी घर के काम काज को कर लेता है तो उसे उसी आदर के साथ समझा जाता है जिसके साथ स्त्री इस काम को करती है। मारपीट या गालीगलोज जो पुरुष द्वारा स्त्री के लिये होते हैं समान लैंगिक समाज में नहीं होते। दूसरे शब्दों में, एक लैंगिक भेदभाव रहित समाज वास्तव में समान विचारधारा वाला समाज होता है। लैंगिक न्याय से हमारा तात्पर्य एक ऐसी दशा से है जिसमें आदमी और औरत को सम्मान तथा समान अवसर तब से दिये जाते हैं जब से वे पैदा होते हैं और उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार अवसर मिलते हैं, मात्र इसलिये नहीं कि वे पुरुष या स्त्री हैं। लैंगिकता की इस व्याख्या में लैंगिक समानता तब प्राप्त होती है जब

Notes

स्त्रियाँ आदर के साथ रहती हैं और अपने जीवन को नियंत्रित करने के लिये अपनी स्वतंत्रता को घर या बाहर समान रूप से भोगती हैं।

आपने क्या सीखा

- लिंग का निर्धारण जैवकीय लक्षणों से होता है, और लैंगिकता को सामाजिक लक्षणों से समझा जाता है। दूसरे शब्दों में, लिंग भेद समाज द्वारा किया गया एक सृजन है।
- समाज में स्त्रियों को अवसर इसलिए नहीं दिये जाते क्योंकि वे अमुक कार्यों को नहीं कर सकतीं अपितु इसलिये नहीं दिये जाते हैं कि वे स्त्री हैं। यह लैंगिक भेदभाव है।
- सैद्धान्तिक रूप से भारत में लैंगिक भेदभाव नहीं है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 15 (1) द्वारा इसकी मनाही है।
- महिलावाद वह विचारधारा है जिसका विश्वास है कि आदमी और औरत में समानता है। महिलावादी इस बात को जानते हैं कि स्त्रियों को सामाजिक संस्थाओं द्वारा दबाया जाता है और उनका शोषण किया जाता है। महिलावाद का उद्देश्य एक लैंगिक समतावादी समाज को स्थापित करना है।
- लैंगिक समानता तब आती है जब स्त्रियों की मुक्ति की सभी रुकावटें हट जाती हैं और पुरुष व स्त्री परिवार में ही नहीं, विशाल समाज में भी, समान रूप से अपने उत्तरदायित्व को मानते हैं।

पाठान्त प्रश्न

निम्न प्रश्नों का उत्तर 200-300 शब्दों में लिखिये:

(1) लिंग और लैंगिक भेदभाव का अन्तर उचित उदाहरणों द्वारा बताइये।

(2) लैंगिक भेदभाव से क्या तात्पर्य है? इसके कारणों की विवेचना कीजिये।

(3) महिलावाद की परिभाषा दीजिये और इसके उद्देश्य बताइये।

(4) लैंगिक समानता का क्या मतलब है? उचित दृष्टान्तों द्वारा बताइये कि इसे परिवार में कैसे लाया जा सकता है?

शब्दावली

1. (लैंगिक भेदभाव) आदमी और स्त्री में समाज द्वारा किया गया अन्तर।
2. लिंग- आदमी और स्त्री में जैवकीय अन्तर।
3. लैंगिक भेदभाव-पुरुष और स्त्री के साथ किया गया भिन्न व्यवहार।
4. लैंगिक श्रम विभाजन- लिंग पर आधारित किया गया काम का विभाजन।
5. लिंग पर आधारित समाजीकरण का पूर्वाग्रह- लड़के और लड़की का पूर्वाग्रह समाज की विभिन्न भूमिकाओं के लिये तैयार किया जाता है।
6. महिला मुखिया घर- ऐसे घर जिसमें लोगों का जीवन निर्वाह स्त्रियों की कमाई पर निर्भर है।
7. संगठित क्षेत्र में रोजगार- इस क्षेत्र में जो रोजगार होते हैं उनका नियमित वेतन होता है। उनकी रक्षा श्रमिक कानून करते हैं और काम की जैसी प्रकृति होती है उसके अनुसार लाभ मिलता है। इसे औपचारिक क्षेत्र भी कहते हैं।
8. असंगठित क्षेत्र में रोजगार- यह वह क्षेत्र है जिसमें नियमित पगार, रोजगार, कानूनी सुरक्षा और लाभ की सुरक्षा नहीं होती। इसे अनौपचारिक क्षेत्र भी कहते हैं।
9. दोहरी मजदूरी- स्त्रियों द्वारा घर में और घर से बाहर की जाने वाली कड़ी मजदूरी।
10. महिलावाद- महिलावाद एक वैचारिकी है जिसमें लैंगिक असमानता होती है और जिसका विरोध किया जाता है।
11. लैंगिक समानता, एक ऐसी दशा जिसमें आदमी और औरत को सभी सामाजिक संस्थाओं में समान व्यवहार मिलता है।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

33.1

1. पुरुष व महिलाओं के विषय में समाज द्वारा दी जाने वाली छबियाँ।
2. पुरुष व स्त्री के बीच जैवकीय भिन्नताएँ।
3. पुरुष व स्त्री के साथ अलग-अलग व्यवहार।
4. अनुच्छेद 15 (1)

Notes

33.2

1. लैंगिक श्रम विभाजन
2. महिला मुखिया घर।
3. 1986।
4. लैंगिक पूर्वाग्रह।

33.3

1. गलत 2. सही 3. गलत 4. सही

33.4

1. महिलावादी 2. अनुत्पादक 3. पितृसत्तात्मक परिवार 4. लैंगिक समानता